संख्या-104/2026/1316641/**सात-न्याय**-9(**बजट**)-2026-07-9099/32/202**4**

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-9 (**बजट**) **लखनऊ दिनांक 06 मई**, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 **में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अनावासीय एवं आवासीय भवनों के लिए मानक मद-**25 **लघु निर्माण कार्य में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय में लघु निर्माण कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 **में अनुदान संख्या**-42 **के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-**4059-**लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**-01-**कार्यालय भवन**-051-**निर्माण**-05-**अनावासीय भवनों का निर्माण**-0502-**न्यायालय भवनों में लघु निर्माण**-25-**लघु निर्माण कार्य मद में रूपये** 1000.00 **लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) तथा लेखाशीर्ष-** 4216-**आवास पर पूंजीगत परिव्यय**-01-**सरकारी रिहायशी भवन**-700-**अन्य आवास**-03-**निर्माण न्याय प्रशासन आवास**-0306-**जनपदों में आवासीय भवनो का निर्माण**-25 **लघु निर्माण कार्य में रूपये** 225.00 **लाख (रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) अर्थात कुल रूपये** 1225.00 **लाख(रूपये बारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।**

2- **इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष** 2026-27 **के आय-व्ययक अनुदान संख्या**-42 **के अन्तर्गत लेखाशीर्ष** 4059-**लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**-01**कार्यालय भवन**-051-**निर्माण**-05-**अनावासीय भवनों का निर्माण**-0502-**न्यायालय भवनों में लघु निर्माण**-25-**लघु निर्माण कार्य तथा लेखाशीर्ष** 4216-**आवास पर पूंजीगत परिव्यय**-01-**सरकारी रिहायशी भवन**-700-**अन्य आवास**-03-**निर्माण न्याय प्रशासन आवास**-0306-**जनपदों में आवासीय भवनो का निर्माण**-25 **लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

3- **उक्त धनराशि का उपयोग निर्धारित सुसंगत नियमों/शर्तो के अधीन समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए लघु निर्माण कार्य हेतु ही नियमानुसार किया जायेगा।**

4- **प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग**-2 **के शासनादेश संख्या-बी**-2-171/**दस**-2008-244-5/2008 **दिनांक** 21 **जनवरी** 2010 **में एवं वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2025/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च**, 2026 **में दिये गये निर्देशों का कड़ायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2025/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह),
प्रमुख सचिव।

सं0-104/2026/ 1316641(1)/**सात-न्याय**-9(**बजट**)-2026, **तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन प्रयागराज।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
5- उप सचिव एवं नोडल अधिकारी(बजट एलाटमेन्ट) श्री पीयूष कुमार ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7- गार्डबुक न्याय-9(**बजट**)**।**

आज्ञा से,

(पीयूष कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।